तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.25	प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त जो शामिल मिसल रहे। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता की दलील है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 286/96 व 287/96 के बदिशा दक्षिण की तरफ स्थित खसरा विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 120 में प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु एक मात्र निकटतम रास्ता है प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है, लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित भूमि को राजस्व रेकर्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ते के क्षतिपूर्ति के रूप में विप्रार्थीगण को दुगनी राशि देने को सहमति है। विप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते प्रदान किये जाने हेतु सहमति जाहिर की। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन व मनन किया, तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। तहसीलदार सिवाना के मौका रिपोर्ट में उल्लेखित किया है कि प्रार्थीगण के ,खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान अनुसारः– (1) यह आवश्यक आत्यंतिक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है ;और (2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया हैः– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए अनुसार नया रास्ता तब ही कायम किया जा सकता है जब आत्यंतिक आवश्यकता हो। यदि कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो तो	

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील हुए
	नया रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता है।, 2022 (2) DNJ (Rev.) 1368 BORAD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER Brailal VS Maniram में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि ***जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है।*** हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण रास्ते के अभाव को सिद्ध करने में असफल रहे है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 24.07.2025 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	